35

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)).

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA

New Delhi, the 24th February, 1977.

NOTIFICATION

S.O. 735 .- In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 64 , dated the 21st December, 1976, the President hereby directs that the Administrators of all Union territories (whether known as Lieutenant Governor, Chief Commissioner or Administrator), shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the Central Government under section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), within their respective Union territories.

(U-11030/5/76-UTL)

(H.C. BAKHSHI)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area, Ring Road,
NEW DELHI.

(भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, ता: 24 फरवरी, 1977

अधिसूचना

का0आ0 ---------------- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना का0आ0 64, तारीख 21 दिसम्बर, 1976 को अधिक्रान्त करते हुए, यह निदेश करते हैं कि सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (चाहे उन्हें उपराज्यपाल, मुख्य-आयुक्त या प्रशासक जो भी कहा जाता हो), राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन और आगे आदेश होने तक, अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन भी करेंगे।

(सं0 यू-11030/5/76-यू0टी0एल0)

हरीश चन्द्र बक्शी

(हरीश चन्द्र बक्शी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

रिंग रोड, नई दिल्ली।